बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 148700 / पटना, दिनांक 17/5/13

ग्रा0वि0-6-म0प्र0पदा0 एवं प्र0पदा0- (ACP)- 30/2013

प्रेषक,

डॉ0 सतीश प्रसाद

संयुक्त निदेशक (पशुपालन) ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, खगडिया, लखीसराय, मधेपुरा एवं किशनगंज ।

उप विकास आयुक्त, नालन्दा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, खगडिया, लखीसराय, मधेपुरा एवं किशनगंज ।

विषय:- **महिला प्रसार पदाधिकारी के विगत पॉच वर्षो का अद्यतन गोपनीय चरित्री एवं अद्यतन अभिप्रमाणित सेवापुस्त उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 127427 दिनांक- 31.10.2012 एवं 147421 दिनाक- 07.05.2013

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र का कृपया निर्देश किया जाय । जिसमें दिनांक- 31.07.2012 को 50 वर्षो की उम्र सीमा पूरी करने वाले महिला प्रसार पदाधिकारी (सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त सहित) का अद्यतन गोपनीय चारित्रिक अभियुक्तियों एवं अद्यतन अभिप्रमाणित सेवापुस्त तथा दंड एवं आरोप आदि की स्थिति की सूचना की माँग की गयी थी । जो अबतक आपके जिले से अप्राप्त है । उल्लेखनीय है कि 50 वर्ष की आयु कर चुके ऐसे पदाधिकारी को विभागीय परीक्षा से विमुक्ति करने की कार्रवाई की जा रही है ।

अत: संबंधित पदाधिकारियों से इसके लिए आवेदन प्राप्त कर के अद्यतन गोपनीय चारित्रिक अभियुक्तियों एवं सेवापुस्त की छायाप्रति की अभिप्रामाणित प्रति एवं दंड तथा आरोप की स्थिति स्पष्ट करते हुए अभिलंब सूचना उपलब्ध करायी जाये ।
इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

17/5/13

(डॉ0 सतीश प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (पशुपालन)

D.M,DDC- Rohatash (mahila)